# सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुॅचाने के लिये अनेक उपाय किये गये है, जिनका बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

1– पुस्तकालयः– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा अपने देहरादून स्थित मुख्यालय एवं विभिन्न जनपदों में स्थित समस्त पर्यटक सूचना केन्द्रों में पर्यटक सूचना सम्बन्धी पुस्तकों/फोल्डरों/पोस्टरों/पिक्चर्स /मार्गदर्शक मानचित्रों के साथ स्वागत कक्षों को सुसज्जित किया गया है जो एक पुस्तकालय के समतुल्य है अतः जनता/पर्यटक निर्धारित समय में पर्यटन सूचना केन्द्रों में जाकर उपलब्ध सूचनायें प्राप्त कर सकते है। कार्यक्रम समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक है।

2– नाटक/नुक्कड़ नाटकः–यह सुविधा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् में अभी तक उपलब्ध नही है।

3– अखबारों के द्वाराः–(1) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा विभिन्न अवसरों पर अपने कार्यक्रमों की (मुख्य रूप से जनता के लिये उपयोगी) सूचना को समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है। उदाहरणार्थ वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है।

(2) सांस्कृतिक मेलों के आयोजन की विस्तृत जानकारियां समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती रही है।

(3) परिषद् द्वारा समय–समय पर जब भी कोई सेमिनार/गोष्ठी/प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाता है उसका व्यापक प्रचार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है।

(4) समय–समय पर परिषद् अपने कार्यक्रमों सम्बन्धी विज्ञापन भी समाचार पत्रों मे देती हैं।

4– सूचना पटलः– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा अपने मुख्यालय एवं समस्त पर्यटन कार्यालयों मे एक–एक सूचना पटल की स्थापना की गई है, जहां पर आगतुन्कों (पर्यटक/जनता) को विभागीय कार्यक्रमों एवं पर्यटक सूचना की जानकारी कराई जाती है।

5– अभिलेखों का निरीक्षणः– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा अपने कार्यालयों के स्वागत कक्ष में विकास कार्यक्रम एवं पर्यटन सूचना सम्बन्धी अभिलेखों को प्रदर्शित किया गया है, जिनका निरीक्षण सभी के लिये (पर्यटक/आम जनता) खुला है।

6– दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्थाः– अभी तक उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के कार्यालयों में पर्यटन सम्बन्धी जानकारी के दस्तावेज (पर्यटन सहित्य/मार्ग दर्शक मानचित्र आदि) एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने की सुबिधा उपलब्ध है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त यह सुबिधा आम जनता को पूर्णतया उपलब्ध करा दी गई है जिसमें जनता विभागीय क्रियाकलापों की कोई भी ऐसी जानकारी, जो गोपनीय नहीं है अथवा शासन द्वारा उनको सार्वजनिक करना प्रतिबन्धित नहीं है विधिक रूप से प्राप्त कर सकती है।

7– उपलब्ध विभागीय मैनुअलः–अभी तक विभागीय मैनुअल केवल विभागीय कर्मियों के लिये उपलब्ध थे लेकिन उपरोक्त अधिनियम के लागू होने के बाद यह सुविधा आम जनता के लिये उपलब्ध करा दी गई है।

8– उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् की वेबसाइट– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास प्राधिकरण की वेबसाइट ( www.ua.nic.in/uttaranchaltourism) इन्टरनेट पर उपलब्ध है जिसके माध्यम से जनता को परिषद् के कार्यक्रमों की सूचना सहज उपलब्ध है।

9– अन्य प्रचार–प्रसार के साधनः– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् विभिन्न सूचना माध्यमों (समाचार पत्र/पत्रिका, रेडियों, टी0वी0, फिल्म आदि) के द्वारा भी अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुॅचाने की कार्यवाही कर रही है।

नोटः– इस मैनुअल से सम्बन्धित विवरण अन्त में संलग्न है।